2019/00333

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 160/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. सत्यनारायण पूत्र स्व॰ श्री लादूराम जाति बाह्मण
2. योगेश कुमार पुत्र नाथूलाल जाति बागडा ब्राह्मण
3. गजानन्द शर्मा पुत्र नाथू लाल शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण
   समस्त निवासी प्रधानों की ढाणी, ग्राम चौंप, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री लक्ष्मीकान्त कटारा आर ए एस उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर ।
2 कल्याण सहाय शर्मा पुत्र श्री भूरामल शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण
3 ओमकार पुत्र श्री भूरामल शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण
4 कैलाश पुत्र भूरामल शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण
5 मोहन पुत्र श्री भूरामल शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण
   समस्त निवासी घ–44, भवानी नगर, मुरलीपुरा बी, राजकीय विद्यालय सीकर रोड, जयपुर।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 145/2010 ब उनवानी नाथू व अन्य बनाम वासी व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. प्रार्थी संख्या एक स्वयं उपस्थित है।
2. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 14.11.2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी कल्याण सहाय राजकीय सेवा निवृत्त है जो अधिकारियों से अच्छा तालमेल रखता है । अप्रार्थी संख्या 2 खुले आम प्रार्थीगण को धमकी दे रहा है कि इन्होंने पीठासीन अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त कटारा से मिली भगत कर ली है तथा वे विवादित भूमि के दावे को खारिज करवा देंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा छोटी छोटी तारीख देना तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायालय कक्ष में सीधे ही न्यायालय की गरीमा के विपरीत जाकर अप्रार्थी कल्याण सहाय से इस सम्बन्ध में बात करना इस तथ्य का द्योतक है कि पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में विशेष दिलचस्पी ले रहे है। इसलिए उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में

जिला कलक्टर
जयपुर

स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। विपक्षी संख्या 2 उपस्थित है।
3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।
4. उभयपक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी आमेर से प्राप्त टिप्पणी का भलीभांति अवलोकन किया गया।
5. उपखण्ड अधिकारी आमेर ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो को मनगढन्त, बेबुनियाद व निराधार बताये है, किन्तु प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी आमेर के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। जयपुर मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को स्थानान्तरित किया जा सकता है इसमें किसी पक्षकार को असुविधा भी नही होगी। परिणामतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
6. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 145/2010 ब उनवानी नाथू व अन्य बनाम घासी व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त समय दे कर प्रकरण का यथा सम्भव 3 माह में मैरिट एवं गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
7. निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी आमेर एवं जयपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर